233

न्यायालय में:- श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

बीस रुपये TWENTY RUPEES COURT FEE INDIA Rs.20 — दो रुपये TWO RUPEES COURT FEE INDIA Rs.2

विलोपित विलोपित विलोपित

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा/2018/2212

लीलाबाई केवट पुत्री स्व0 पूरन केवट पत्नी जगतराम केवट

निवासी–ग्राम छुलकारी, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

श्री विनोद आर्य व अभि. द्वारा आज दि. 4-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

– – – – – – निगरानीकर्ता

बनाम

1. चन्द्रशेखर केवट पिता स्व0 पूरन केवट
निवासी–ग्राम अमलई, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

2. हीरालाल केवट पिता स्व0 पूरन केवट
निवासी–ग्राम अमलई, तहसील व जिला अनूपपुर (म0प्र0)

3. चन्दाबाई केवट पिता स्व0 पूरन केवट पत्नी रामप्रसाद केवट
निवासी–ग्राम पिपरहा, तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म0प्र0)

– – – – – – गैरनिगरानीकर्तागण

विनोद आर्य
04-04-2018

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनूपपुर जिला अनूपपुर(म०प्र०) का राजस्व प्रकरण क्र०-15/अपील/2017-18 शीर्षक 'चन्द्र शेखर बनाम लीलाबाई एवं दो अन्य' <u>में पारित आदेश दिनॉक 16-03-2018</u> ।

लीलाबाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/2212 लीलाबाई विरूद्ध चंद्रशेखर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-04-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 10.1.19 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 10.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	